कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. **योजना में आवेदन हेतु पात्रता क्या है?**

   12वी उतीर्ण छात्राएँ–
   - राजस्थान स्थित किसी महाविद्यालय/संस्था से स्नातक डिग्री में नियमित रूप से अध्ययनरत हो
   - जिनके माता–पिता की आय 2.5 लाख वार्षिक तक हो (टीएडी विभाग द्वारा संचालित योजना में आयकर नहीं देने वाला परिवार)
   - राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में 12वीं कक्षा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 65 प्रतिशत (विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू हेतु 60 प्रतिशत) अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजस्थान स्थित विद्यालय से न्यूनतम 75 प्रतिशत (विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू हेतु 70 प्रतिशत) से उतीर्ण हुई हो

   10वीं उतीर्ण छात्राएँ (केवल अनुसूचित जनजाति ST) –
   - राजस्थान स्थित किसी विद्यालय से 11 वीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत हो
   - जिनके माता–पिता आयकर नहीं देते हो
   - राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में 10वीं कक्षा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 65 प्रतिशतअथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजस्थान स्थित विद्यालय से न्यूनतम 75 प्रतिशतसे उतीर्ण हुई हो

2. **मैंने 10वीं/12वीं कक्षा उतीर्ण करने के एक वर्ष पश्चात 11 वीं /स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है तो क्या में इस योजना में पात्र हूँ?**

   11 वीं / स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष में प्रवेश एवं 10वीं/12वीं कक्षा उतीर्ण के वर्ष में अतंराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा।

3. **मैने किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त की है तो क्या मैं इस योजना हेतु पात्र हूँ?**

   हॉ, किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता/छात्रवृति प्राप्त करने वाली छात्राएँ भी इस योजना में पात्र होती है।

4. **मैंने पूर्व में राज्य सरकार की योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, क्या मैं इस योजना में भी स्कूटी प्राप्त कर सकती हूँ?**

   जिन छात्राओं ने इस योजना के लागू होने से पूर्व किसी भी कक्षा में राज्य सरकार की योजनान्तर्गत स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, वे छात्राएँ इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी परन्तु पूर्व में टीएडी विभाग , स्कूल शिक्षा विभाग से 10 वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त की है तो उस छात्रा को 12 वीं के परिणाम के आधार पर चयनित होने पर 40000/– रूपये एकमुश्त राशि देय होगी।

5. **योजना में आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है?**

   योजना में https://hte.rajasthan.gov.in/online-scholarship पर ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रा द्वारा स्वयं की एस.एस.ओ आई.डी से आवेदन किया जा सकता है।

6. **आवेदन के समय किन–किन दस्तावेजों/जानकारी की आवश्यकता होती है?**
- जनआधार आई.डी. अथवा जनाधार पंजीकरण संख्या
- आधार संख्या अथवा पंजीकरण संख्या।
- स्वयं के बैंक खाता संख्या, IFSC एवं MICR कोड एवं बैंक शाखा।
- आय घोषणा पत्र
- 10वीं/12 वीं कक्षा की अंकतालिका
- वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की प्रवेश शुल्क रसीद

7. **क्या मुझे छात्रवृति प्रोफाइल पंजीकृत करने से पूर्व एसएसओ आई.डी. प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक होगा?**
   हॉ, छात्रा को छात्रवृति प्रोफाइल पंजीकृत करने से पूर्व अपना एसएसओ आई.डी. प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक होता है। इसमें छात्रा को अपना जन्म दिनांक , मोबाइल न., जनाधार आई.डी. आधार नम्बर दिव्यांग, जाति श्रेणी सूचना आवश्यक रूप से अंकित करनी होती है। इसके अभाव में छात्रा अपनी छात्रवृति प्रोफाइल पंजीकृत नहीं कर पायेगी।

8. **योजना में ऑनलाइन आवेदन हेतु किन–किन दस्तावेजों को अपलोड किया जाना अनिवार्य होता है?**
   - आय प्रमाण पत्र (बीपीएल परिवार के अतिरिक्त)
   - 12 वीं अंकतालिका
   - महाविद्यालय/संस्थान की प्रवेश रसीद
   - विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू की छात्राओं हेतु प्रमाण–पत्र

9. **योजना में चयनित होने पर मुझे क्या–क्या लाभ प्राप्त होगा?**
   योजना में चयनित होने पर निम्नलिखित लाभ प्राप्त होता है–
   - एक स्कूटी
   - छात्रा को स्कूटी सुपुर्द करने तक का (रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम हस्तांतरण) परिवहन व्यय
   - एक वर्ष का सामान्य बीमा
   - पाँच वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा
   - दो लीटर पेट्रोल (वितरण के समय एक बार)
   - एक हेलमेट

10. **आवेदन में योजना का विभाग क्या अर्थ है?**
    इस योजना में राज्य सरकार के पाँच विभागों द्वारा स्कूटी वितरण हेतु बजट उपलब्ध करवाया जाता है तथा योजना का नोडल विभाग उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) विभाग है।

क्र.स.	योजना का विभाग	वर्ग
1.	कॉलेज शिक्षा	सभी वर्ग हेतु
2.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	अनुसूचित जाति (SC) वर्ग हेतु
3.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) हेतु
4.	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (12वीं एवं 10वीं उतीर्ण छात्राओं हेतु)	अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग हेतु
5.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	विमुक्त, घुमन्तु, एवं अर्द्ध–घुमन्तु वर्ग हेतु
6.	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	अल्पसंख्यक वर्ग हेतु

11. मैं अनुसूचित (SC) वर्ग की छात्रा हूँ, क्या मैं अन्य योजना के विभाग में आवेदन कर सकती हूँ?

अनुसूचित जाति (SC) ,अनुसूचित जनजाति (ST) ,सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अल्पसंख्यक वर्ग (Miniority) विमुक्त, घुमन्तु, एवं अर्द्ध–घुमन्तु वर्ग की छात्राऐं अपने वर्ग अथवा कॉलेज शिक्षा के सभी वर्ग में से किसी एक योजना के विभाग में आवेदन कर सकती है।

12. मैं विशेष पिछडा वर्ग (SBC) की छात्रा हूँ, क्या मैं आवेदन कर सकती हूँ?

विशेष पिछडा वर्ग **(SBC)** की छात्राएँ योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। वे देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना में आवेदन कर सकती हैं।

13. मैं सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्रा हूँ, परन्तु मेरे आवेदन पत्र में सामान्य वर्ग आ रहा है। इसे मैं किस प्रकार संशोधित कर सकती हूँ?

आवेदन पत्र में जनाधार की सूचना सीधे फेच की जाती है। यदि आपके आवेदन पत्र में नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, दिव्यांग श्रेणी अथवा श्रेणी वर्ग आदि में कोई विसंगति है तो आपको उक्त संशोधन जनाधार में करवाकर अपनी एसएसओ आई.डी. प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। अपडेट करने पर आवेदन पत्र में सूचना स्वतः ही संशोधित हो जायेगा।

14. ऑनलाइन आवेदन पत्र में ऑडिट ट्रेल का क्या अर्थ है?

आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की जाँच संस्थान/महाविद्यालय, जिला नोडल अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्यालय स्तर पर की जाती है। यदि आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर कमी पाई जाती है तो उस कमी की टिप्पणी लिखकर आक्षेप लगाये जाते है अथवा सही पाये जाने पर आगामी स्तर को प्रेषित कर दिया जाता है। सभी स्तरों पर आवेदन पत्र सही पाये जाने पर ऑडिट ट्रेल में Shortlisted by HQ दर्शाया जाता है। आपके आवेदन पत्र विभिन्न स्तरों पर की गई कार्यवाही ऑडिट ट्रेल में दर्शायी जाती है तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र में दर्शाये गए मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. के द्वारा भेजी जाती है।

15. मेरे आवेदन पत्र में क्या कमी है, इसकी सूचना मुझे कैसे मिलेगी?

आप अपनी एसएसओ आई.डी. लॉगइन कर आवेदन पत्र में पायी गई कमियों को ऑडिट ट्रेल में देख सकते है तथा आक्षेप की पूर्ति कर आवेदन को पुनः महाविद्यालय को प्रेषित कर सकती है।

16. मेरा नाम अंतरिम वरीयता सूची में है, इसका क्या अर्थ है?

अंतरिम वरीयता सूची में उन समस्त छात्राओं का नाम सम्मिलित होता है जिनका आवेदन पत्र सही पाया जाता है। आपको अंतरिम वरियता सूची में अपने विवरण को ध्यानपूर्वक जाँच करनी चाहिए यदि आपके विवरण में सम्बधित कोई विसंगति हो तो उसे तुरन्त निर्धारित प्रारूप में महाविद्यालय /जिला नोडल अधिकारी को अवगत कराये।

17. मेरा नाम अंतिम वरियता सूची मे है, इसका क्या अर्थ है?

अंतिम वरियता सूची में उन छात्राओं का नाम सम्मिलित होता जो स्कूटी हेतु चयनित की गई है। यदि आपका नाम अंतिम वरियता सूची में है तो जिला नोडल अधिकारी द्वारा आपकी पात्रता की जाँच आपके मूल दस्तावेजों के आधार पर की जाती है तथा सही पाये जाने पर आपका नाम स्कूटी वितरण के लिए मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है।

18. क्या दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राएँ भी इस योजना में पात्र है?

दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राएँ इस योजना में पात्र नहीं है।